UPBJ010052072024

न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश, कोर्ट नम्बर–01, बिजनौर।

पीठासीन अधिकारीः– प्रशांत मित्तल, उच्चतर न्यायिक सेवा – UP06174

फौजदारी निगरानी संख्या–150/2024

छतर सिहॅ पुत्र स्व0 शौनाथ सिहॅ, निवासी ग्राम आसपुर नवादा, वर्तमान निवासी रशीदपुर गढी, निकट गंधक फैक्ट्री, नगीना रोड बिजनौर, जिला बिजनौर।

..... **निगरानीकर्ता/प्रार्थी।**

बनाम

1–उत्तर प्रदेश सरकार
2–श्रीमती संगीता आयु 55 वर्ष पत्नी देवेन्द्र पाल
3–शशिबाला उम्र 60 वर्ष पत्नी सीताराम
4–सीताराम पाल उम्र 62 वर्ष पुत्र मुन्ना लाल
5–सत्यपाल उम्र 38 वर्ष पुत्र मुन्ना लाल
निवासीगण रेशम माजरी, डोईवाला, तहसील ऋषिकेश, जिला देहरादून, उत्तराखण्ड।
6–हरवेन्द्र आयु 40 वर्ष पुत्र नौबहार सिहॅ
7–धर्मवीर सिहॅ उम्र 30 वर्ष पुत्र नौबहार सिहॅ
8–श्रीमती राजो देवी आयु 60 वर्ष पत्नी नौबहार सिहॅ
9–मूलचंद आयु 48 वर्ष पुत्र अतर सिहॅ
निवासीगण ग्राम खासपुरा, परगना बूढपुर, तहसील चॉदपुर, जिला बिजनौर।
10–शिवराज आयु 45 वर्ष पुत्र कन्हैया, निवासी ग्राम मुबारकपुर रंधौर, थाना चॉदपुर, जिला बिजनौर।

..... **विपक्षीगण।**

<u>निर्णय</u>

1– प्रस्तुत फौजदारी निगरानी विद्वान विचारण न्यायालय, सिविल जज (जू0डि0)/न्यायिक मजिस्ट्रेट, नजीबाबाद द्वारा प्रकीर्ण वाद संख्या 167/2023 छतर सिहॅ बनाम श्रीमती संगीता देवी आदि में पारित आदेश दिनांकित 09–02–2024 के विरूद्ध योजित की गई है। आक्षेपित आदेश दिनांकित 09–02–2024 के द्वारा विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा निगरानीकर्ता/प्रार्थी का प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 156(3) दं0प्र0सं0 निरस्त किया गया।

2– प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 156(3) दं0प्र0सं0 के संक्षिप्तः तथ्य इस प्रकार हैं कि प्रार्थी व प्रार्थी के भाई भतीजो ने एक पंजीकृत अनुबंध जिसमे प्रार्थी ने दिनॉक 21–07–2018 को खसरा नं0 287, 313, 315, 330 आदि क्षेत्रफल 2.460 हे0 का विपक्षी सं0 1 से अग्रिम धनराशि 4,60,000/–रूपये देकर कराया व दूसरा पंजीकृत अनुबंध खसरा सं0 453, 462 आदि क्षेत्रफल 1.036 हे0 अग्रिम धनराशि 2,00,000/–रूपये देकर विपक्षी सं0 2 से कराया व तीसरा पंजीकृत अनुबंध खसरा नं0 497, 504, 291, 260, 320, 333, 275, 306, 293, 298 व

Digitally signed by PRASHANT MITTAL
Date: 2026.08.21 17:24:44 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court

266 आदि कुल क्षेत्रफल 1.816 हे0 का अग्रिम धनराशि 3,00,000/–रूपये देकर विपक्षी सं0 2 से कराया। उपरोक्त समस्त गाटा नम्बरान शाहजहॉपुर जसरथ, परगना किरतपुर, तहसील नजीबाबाद, जिला बिजनौर में है। उपरोक्त रजिस्टर्ड अनुबंध की म्याद 15–10–2018 तय हुई थी। प्रार्थी उपरोक्त दिनॉक को बैनामा कराने की गरज से उपरोक्त विक्रेतागण की शेष धनराशि लेकर सब रजिस्ट्री कार्यालय, नजीबाबाद में पहुॅचा लेकिन कोई भी विक्रेतागण उपरोक्त नियत तिथि पर नहीं पहुॅचा। प्रार्थी उपरोक्त दिनॉक को सुबह 10 बजे से सायं 5:00 बजे तक विक्रेतागण की प्रतीक्षा करके व अपनी उपस्थिति की रसीद कटवाकर घर चला गया। प्रार्थी ने कई बार विक्रेतागण से बजरिये फोन व बजरिये पंजीकृत नोटिस बैनामा पंजीकृत कराने के लिए सूचित किया, परन्तु उपरोक्त लोगों की नियत में बदनियती आ गयी और उपरोक्त विक्रेतागण ने बैनामा करने से इंकार कर दिया। प्रार्थी ने विवश होकर न्यायालय सिविल जज (सी0डी0), बिजनौर के यहॉ वाद सं0 490/2022 छतर सिहॅ बनाम संगीता देवी व न्यायालय सिविल जज (सी0डी0), बिजनौर में वाद सं0 144/2021 नितिन आदि बनाम शशिबाला के विरूद्व दायर कर रखे है, जो न्यायालय में विचाराधीन है। प्रार्थी को उपरोक्त विक्रेतागण ने बैनामा करने की बात कहकर माह जुलाई सन 2013 में सब रजिस्ट्री कार्यालय, नजीबाबाद बुलाया और झांसे में लेकर धोखा देने की गरज से उल्टे सीधे कागजो पर जबरदस्ती हस्ताक्षर करा लिए। प्रार्थी ने जब सब रजिस्ट्री कार्यालय, नजीबाबाद में मुआयना कराया तो पता चला संगीता देवी ने दो बैनामे विपक्षी सं0 5 व 6 को तथा विपक्षी सं0 2 ने 02 बैनामे विपक्षी सं0 5 व 6 को व एक बैनामा विपक्षी सं0 4 ने विपक्षी सं0 4 व 6 को कर दिए। विपक्षी सं03 विपक्षी सं0 2 का पति व विपक्षी सं0 4 विपक्षी सं0 4 का भाई है, विपक्षी सं0 5 व 6 बैनामे में क्रेतागण है। विपक्षी सं0 7, 8 व 9 बैनामो में गवाह है। इस प्रकार उपरोक्त सभी मुलजिमान ने आपस में हमसाज होकर उपरोक्त बैनामे किए है। प्रार्थी ने जब उपरोक्त क्रेता व विक्रेतागण से तहसील नजीबाबाद में पूछा कि आपने पंजीकृत अनुबंध के होते हुए न्यायालय में लम्बित वाद के दौरान बैनामा पंजीकृत क्यों किया व कराया तो उपरोक्त सभी मुल्जिमान क्रोधित होकर कहने लगे कि हमारे खिलाफ पुलिस या अदालत में कोई कार्यवाही की तो जान से मार देगें। प्रार्थी ने एक प्रार्थनापत्र थानाध्यक्ष, नजीबाबाद व एक प्रार्थनापत्र पुलिस उपाधीक्षक, नजीबाबाद व एक प्रार्थनापत्र पुलिस अधीक्षक, बिजनौर को दिनॉक 24–08–2023 को दस्ती व बजरिये रजिस्ट्री दिए जिन पर अभी तक कोई कार्यवाही नहीं हुई। इन तथ्यो के आधार पर थाना नजीबाबाद में उसका मुकदमा पंजीकृत कराकर विवेचना कराये जाने की याचना की गई है।

3– विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा दिनांक 09–02–2024 को निगरानीकर्ता का प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 156(3) दं0प्र0सं0 निरस्त किया गया है। उक्त आदेश से क्षुब्ध होकर निगरानीकर्ता/प्रार्थी द्वारा यह निगरानी योजित की गयी।

4– निगरानीकर्ता/प्रार्थी द्वारा निगरानी के माध्यम से कहा गया है कि विचारण न्यायालय का आदेश पत्रावली पर उपलब्ध तथ्यो व साक्ष्य के विपरीत होने के कारण खारिज होने योग्य है। विचारण न्यायालय द्वारा केवल पुलिस रिपोर्ट को सही मानकर आदेश पारित किया है जो विधि सम्मत नहीं है। विपक्षी संगीता देवी व शशिबाला ने प्रार्थी व उसके भाईयो व भतीजों के पक्ष में तीन इकरारनामे किए थे। निगरानीकर्ता छतर सिहॅ ने संगीता देवी द्वारा किए गए इकरारनामा दिनॉकित 21.07.2018 के आधार पर अपने पक्ष में बैनामा कराने के लिए विशिष्ट अनुतोष अधिनियम के अन्तर्गत अपने पक्ष में बैनामा कराने हेतु न्यायालय सिविल जज

(सी0डी0), बिजनौर में मूलवाद सं0 690/2022 छतर सिहॅ बनाम संगीता देवी दायर कर रखा है जो लघुवाद न्यायाधीश, बिजनौर के न्यायालय में विचाराधीन है। विपक्षी संगीता देवी व शशिबाला ने निगरानीकर्ता के साथ धोखा–धडी करते हुए बेईमानीपूर्वक इकरारनामे वाली भूमि के दो बैनामे विपक्षी हरवेन्द्र व धर्मवीर के पक्ष में कर दिए है जो अभी तक निरस्त नहीं हुए है, परन्तु विचारण न्यायालय ने उपरोक्त तथ्यो पर गौर न करके प्रश्नगत आदेश पारित कर दिया जो कि स्थिर रहने योग्य नहीं है तथा अपास्त होने योग्य है। उपरोक्त आधारों पर निगरानीकर्ता द्वारा प्रस्तुत निगरानी स्वीकार करने तथा विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांकित 09–02–2024 को निरस्त करने की याचना की गयी है।

5– निगरानीकर्ता/परिवादी एवं विपक्षीगण सं0 02 ता 10 की ओर से पर्याप्त अवसर दिए जाने के बावजूद बहस हेतु कोई उपस्थित नहीं हुआ। विपक्षी सं0 1 की ओर से विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) उपस्थित है। अतः मेरे द्वारा विपक्षी संख्या 01 राज्य की ओर से विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) की बहस को सुना तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया।

7– विपक्षी सं01 की ओर से यह तर्क दिया गया है कि विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा न्यायिक मस्तिष्क का प्रयोग करते हुए प्रश्नगत आदेश न्यायालय में निहित क्षेत्राधिकार के अन्तर्गत पारित किया गया है। निगरानीकर्ता/प्रार्थी द्वारा प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 156 (3) दं0प्र0सं0 में वर्णित कथनो से स्पष्ट है कि मामला सिविल प्रकृति का है तथा पक्षकारो के मध्य न्यायालय सिविल जज (सी0डी0), बिजनौर में वाद सं0 490/2022 छतर सिहॅ बनाम संगीता देवी व न्यायालय सिविल जज (सी0डी0), बिजनौर में वाद सं0 144/2021 नितिन आदि बनाम शशिबाला के विरूद्व विचाराधीन है। विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा पारित किया गया आदेश विधिसम्मत है, उसमें हस्तक्षेप की कोई आवश्यकता नहीं है। उक्त आधार पर निगरानी निरस्त किये जाने पर बल दिया गया है।

8– निगरानीकर्ता द्वारा यह निगरानी विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांकित 09–02–2024 के विरूद्ध योजित की गयी है, जिसके द्वारा विद्वान विचारण न्यायालय ने निगरानीकर्ता/प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 156(3) द0प्र0सं0 संज्ञेय प्रकृति का मामला होना न पाते हुए इस आधार पर निरस्त किया गया है कि प्रार्थनापत्र में जिस प्रकार के कथन अंकित किए गए है, वह पूर्णतः सिविल प्रकृति के है। विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा पारित प्रश्नगत आदेश सही है, क्योंकि पत्रावली के अवलोकन से विदित है कि प्रार्थनापत्र में वर्णित तथ्यो से पक्षकारो के मध्य जमीन खरीदने के संबंध में प्रश्नगत सम्पत्ति का बैनामा न करने का विवाद है तथा निगरानीकर्ता/प्रार्थी ने अपने परिवाद पत्र में विपक्षी संगीता देवी द्वारा किए गए इकरारनामा दिनॉकित 21.07.2018 के आधार पर अपने पक्ष में बैनामा कराने के लिए विशिष्ट अनुतोष अधिनियम के अन्तर्गत सिविल जज (सी0डी0), बिजनौर में मूलवाद सं0 690/2022 छतर सिहॅ बनाम संगीता देवी आदि योजित किया गया है जो कि वर्तमान में लघुवाद न्यायाधीश, बिजनौर के न्यायालय में विचाराधीन होना कथित किया है। निगरानीकर्ता द्वारा प्रार्थनापत्र में इस तथ्य को भी स्वीकार किया गया है कि विपक्षी संगीता देवी व शशिबाला ने इकरारनामे वाली भूमि के दो बैनामे विपक्षी हरवेन्द्र व धर्मवीर के पक्ष में कर दिए है जो अभी तक निरस्त नहीं हुए है जिससे स्पष्ट है कि पक्षकारो के मध्य सिविल प्रकृति का विवाद है जो न्यायालय में विचाराधीन है। उपरोक्त परिस्थितियो में विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा

निगरानीकर्ता/परिवादी का प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 156(3) दं0प्र0सं0 सही निरस्त किया गया है व विचारण न्यायालय के प्रश्नगत आदेश में कोई विधिक त्रुटि नहीं है।

10– उपरोक्त विवेचना के अनुसार विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांकित 09–02–2024 सही है व प्रश्नगत आदेश में कोई विधिक त्रुटि नहीं है। उपरोक्त परिस्थिति में निगरानीकर्ता की निगरानी निरस्त किये जाने योग्य है तथा आलोच्य आदेश स्थिर रहने योग्य है।

आदेश

10– प्रस्तुत फौजदारी निगरानी संख्या 150/2024 छतर सिहॅ बनाम उ0प्र0 सरकार आदि निरस्त की जाती है। विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा पारित प्रश्नगत आदेश दिनांकित 09–02–2024 पुष्ट किया जाता है।

11– कार्यालय लिपिक को आदेशित किया जाता है कि वह विचारण न्यायालय का अभिलेख इस निर्णय की प्रति सहित अविलम्ब प्रतिप्रेषित करे। फौजदारी निगरानी की पत्रावली बाद आवश्यक कार्यवाही नियमानुसार अभिलेखागार दाखिल हो।

दिनांकः 21–08–2026

(प्रशांत मित्तल)
अपर सत्र न्यायाधीश, कोर्ट सं0–01,
बिजनौर।

यह निर्णय आज मेरे द्वारा दिनांकित एवं हस्ताक्षरित करके खुले न्यायालय में उद्घोषित किया गया।

दिनांकः 21–08–2026

(प्रशांत मित्तल)
अपर सत्र न्यायाधीश, कोर्ट सं0–01,
बिजनौर।